न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रमेश चंद गुप्ता पुत्र स्व. रामजीलाल गुप्ता निवासी मकान नं. 85/360, प्रताप नगर, सैक्टर–8, सांगानेर, जयपुर (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–07/2020 ता.रजु–12.02.2020

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.02.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी अथवा उनका प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर मु.नं. 66/17 प्रकरण उनवानी रमेश चंद गुप्ता बनाम बृजमोहन वगै. से संबंधित कुल तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है जिससे जाहिर होता है एवं सूचना भी अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई है। अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।
6. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलाण्ट को सटीक, स्पष्ट सूचना उपलब्ध करावें।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested